संख्या 14/2016 /986 /33-3-2016-100(26)/2015

प्रेषक,

एस.पी.सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 12 अप्रैल,2016

विषय- चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2015-16 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की द्वितीय किस्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/शा/447/2015-16-5/101/2016, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 व शासनादेश संख्या-41/2015/3006/33-3-2015-100(26)/2015 दिनांक 10 नवम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 के क्रम में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2015-16 के लिए बुनियादी अनुदान की धनराशि की द्वितीय किस्त रू0 1921.2958 करोड (रू0 एक हजार नौ सौ इक्कीस करोड उनतीस लाख अठावन हजार मात्र) धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन संलगन जनपदवार फाण्ट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जानें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रायोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) शासकीय व्यय में मितव्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 934/ दस-2008-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक , पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2016-17 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-04- चौदहवें वित्त आयोग- 0401- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।
3- यह आदेश वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-409/ दस-2016, दिनांक 12.04.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(एस.पी.सिह)
उप सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।
6- संबंधित बैंकों को।
7- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
10- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

¼धनराशि रूपये में½

क्र0सं0	जनपद	ग्राम पंचायतों हेतु अनुदान की धनराशि
1	2	3
1	मेरठ	258310662
2	बागपत	194576060
3	गाजियाबाद	230542783
4	गौतमबुध्दनगर	164866196
5	बुलन्दशहर	314654769
6	सहारनपुर	302685611
7	मुजफ्फरनगर	272961961
8	आगरा	310780706
9	अलीगढ़	295249797
10	महामायानगर	201893644
11	एटा	199275111
12	कासगंज	174951572
13	मैनपुरी	214154822
14	मथुरा	244415400

15	फिरोजाबाद	233680262
16	बरेली	316358168
17	बदायू	279083922
18	पीलीभीत	228516537
19	शाहजहापुर	270664341
20	मुरादाबाद	235484066
21	अमरोहा	196833471
22	रामपुर	214296494
23	बिजनौर	344941291
24	लखनऊ	274550782
25	रायबरेली	286571887
26	अमेठी	265406285
27	हरदोई	390702620
28	उन्नाव	303010247
29	सीतापुर	435167413
30	खीरी	394205885
31	फैजाबाद	258149016

32	अम्बेडकरनगर	247007180
33	सुल्तानपुर	262673050
34	बाराबंकी	328973929
35	गोण्डा	320175150
36	बलरामपुर	211177450
37	बहराइच	299107975
38	श्रावस्ती	136025348
39	इलाहाबाद	455670853
40	कौशाम्बी	207177046
41	फतेहपुर	267866276
42	प्रतापगढ़	311447691
43	वाराणसी	253896637
44	चन्दौली	209019508
45	गाजीपुर	334574451
46	जौनपुर	418543128
47	मिर्जापुर	270216780
48	सोनभद्र	269266890

49	सन्तरविदासनगर	182420521
50	हमीरपुर	156826652
51	बांदा	200511701
52	चित्रकूट	169108514
53	महोबा	150055227
54	गोरखपुर	361633338
55	महाराजगंज	258575492
56	देवरिया	285796786
57	कुशीनगर	323923674
58	बस्ती	247378847
59	संतकबीरनगर	191845895
60	सिद्धार्थ नगर	242421452
61	आजमगढ़	423657718
62	मऊ	212057320
63	बलिया	295276740
64	कानपुर नगर	201915662
65	कानपुर देहात	238720170

66	फर्रूखाबाद	200187312
67	कन्नौज	192459852
68	इटावा	191322659
69	औरैया	186302158
70	झांसी	200330978
71	ललितपुर	181748316
72	जालौन	179249281
73	शामली	172741878
74	सम्भल	219206554
75	हापुड़	237522180
	योग-	**19212958000**

(रू0 एक हजार नौ सौ इकीस करोड उनतीस लाख अठावन हजार मात्र)